




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 303]
No. 303]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 13, 1998/श्रावण 22, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 1998/SRAVANA 22, 1920

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(विदेश कर प्रभाग)
अधिसूचना

ई दिल्ली, 13 अगस्त, 1998

सा. का. नि. 4 5(अ).—चूंकि भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के मध्य आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए अभिसमय, उपर्युक्त अभिसमय के अनुच्छेद-29 के पैरा 1 की अपेक्षानुसार, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा संवैधानिक अपेक्षाओं की अनुपालना करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने पर लागू किया गया ;

और चूंकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 कम्पनी (लाभ) अतिरिक्त कर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (विदेश कर प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 786(अ) दिनांक 20 नवम्बर, 1984 के तहत यह निर्देश दिया था कि उपर्युक्त अधिसूचना से अनुबंधित अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

और चूंकि, फिनलैंड गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ने संविदाकारी राज्यों के मध्य उपर्युक्त अभिसमय में संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की थी।

और चूंकि भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के मध्य आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के

परिहार के लिए उपर्युक्त अभिसमय में संशोधन करने के लिए अनुबंधित प्रोटोकॉल, इसमें संदर्भित परवर्ती अधिसूचनाओं के जारी होने के 30 दिन के पश्चात् और उपर्युक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद VII की अपेक्षानुसार 10 जनवरी, 1998 को लागू हो गया है।

अब, अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे और उपर्युक्त अभिसमय, अनुबंधित प्रोटोकॉल में उल्लिखित सीमा तक ही संशोधित रहेगा।

[अधिसूचना सं. 10671/फा. सं. 501/13/80 वि.क.प्र.]

ए. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के बीच अभिसमय को संशोधित करने के लिए।

प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार ने, आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए दोनों संविदाकारी पार्टियों के बीच 10 जून, 1983 को हेलसिंकी में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल को निष्पन्न करने की इच्छा से;

निम्नलिखित के अनुसार करार किया है :

अनुच्छेद I

अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"1. वे कर जो वर्तमान अभिसमय के विषय हैं, इस प्रकार हैं :

(क) फिनलैण्ड में :

- (i) राज्य आय कर;
 - (ii) निगम आय कर;
 - (iii) सामुदायिक कर;
 - (iv) चर्च कर;
 - (v) ब्याज से स्रोत पर रोका गया कर;
 - (vi) अनिवासियों की आय से स्रोत पर रोका गया कर; और
 - (vii) राज्य पूंजी कर;
- (इसके बाद इसे "फिनलैण्ड कर" कहा जाएगा);

(ख) भारत में :

(i) आयकर, जिसमें उसके ऊपर लगने वाला कोई अधिभार शामिल है; और

(ii) धन कर;

(इसके बाद इसे "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

अनुच्छेद-II

अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (च) को हटा लिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पड़े रखे जायेंगे और उप पैराग्राफ (च) के बाद निम्नलिखित नए उप-पैराग्राफ (छ) और (ज) शामिल किए जाएंगे :

"(घ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) फिनलैण्ड में, वित्त मंत्रालय, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा ऐसा प्राधिकारी जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा समक्ष प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया हो;

(ii) भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(छ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) फिनलैण्ड में, आयकर से संबंधित फिनलैण्ड के कराधान कानूनों में यथा-परिभाषित "कर वर्ष";

(ii) भारत में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 में यथा-परिभाषित "पूर्व वर्ष";

(ज) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार फिनलैण्ड की अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जोकि उन करों से संबंधित किसी धूक अथवा गलती के संबंध में देय है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्धदण्ड अथवा ब्याज की राशि है।"

अनुच्छेद-III

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 1, 2 और 3 को हटा लिया जाएगा और उनके स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे :

"1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे। ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लागू होगा, परन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2. तथापि, जब तक फिनलैण्ड में निवासी किसी कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों के बारे में फिनलैण्ड में निवासी किसी व्यक्ति को कर क्रेडिट का अधिकार प्राप्त है तब तक फिनलैण्ड में पैराग्राफ 1 के उपबंधों की बजाए इस पैराग्राफ के निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे।

फिनलैण्ड की निवासी किसी कम्पनी द्वारा भारत के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांशों पर लाभांशों के फिनलैण्ड कर से छूट प्राप्त होगी।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।"

अनुच्छेद-IV

अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 को हटा लिया जाएगा और उनके स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे और मौजूदा पैरा 5 और 6 को क्रमशः पैरा 6 और 7 के रूप में दुबारा संख्यांकित किया जाएगा।

"1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु इस प्रकार लगाए गए कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी,

(क) भारत में उद्भूत होने वाले ब्याज पर भारतीय कर से छूट प्राप्त होगी यदि ब्याज निम्नलिखित को अदा किया गया हो :

(i) फिनलैण्ड की बैंक; और

(ii) इंडीस्ट्रियल को-आपरेशन लिमिटेड (फिनलैण्ड) के लिए फिनलैण्ड की निधि अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था, जिसके संबंध में संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हो गई हो;

(ख) फिनलैण्ड में उद्भूत होने वाले ब्याज पर फिनलैण्ड कर से छूट प्राप्त होगी यदि ब्याज निम्नलिखित को अदा किया गया हो :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक;

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक;

(iii) भारत का लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी); और

(iv) आयात-निर्यात बैंक;

(ग) एक संविदाकारी राज्य में उप-पैराग्राफ (क) अथवा (ख) में उल्लिखित अथवा बताए गए निकायों में से किसी के भी द्वारा गारण्टीकृत ऋण पर उद्भूत होने वाले ब्याज पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जो कि अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त (ब्याज) शब्द से अभिप्रेत है— प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय चाहे वह बंधक पत्र द्वारा प्रत्याभूत हो अथवा नहीं और चाहे इससे ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त होता हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय है, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हो। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्धदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, यथा-स्थिति लागू होंगे।

अनुच्छेद-V

उक्त अभिसमय के अनुच्छेद के 13 के पैरा 2, 3 और 4 को हटा लिया जाएगा और उनके स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे और मौजूदा पैरा 5, 6 और 7 को क्रमशः पैरा 6, 7 और 8 के रूप में दुबारा संख्यांकित किया जाएगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं और वह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा परन्तु इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (क) के भीतर रायल्टियों और पैराग्राफ 4 के उप-पैरा (क) और (ग) के भीतर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस मामले में :

(i) वर्ष 1997 से 2001 तक :

(कक) ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत जब रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का दाता प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग हो; और

(खख) अन्य सभी मामलों में ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 20 प्रतिशत; और

(ii) अनुवर्ती वर्षों के दौरान ऐसी रायल्टियों अथवा

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और

(ख) पैरा 3 के उप-पैरा (ख) के भीतर रायल्टियों और पैरा 4 के उप-पैरा (ख) में परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के मामले में ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए "रायल्टियां" पद का अर्थ इस प्रकार होगा :—

(क) रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के संबंध में प्रयोग हेतु सिनेमा फिल्मों अथवा फिल्मों पर कोई कार्य, टेपों और उनके लिए पुनर्निर्माण के अन्यथा माध्यमों, किसी पेटेंट ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित किसी सूचना सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट के उपयोग या उसके उपयोग के अधिकार और उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त किए गए किसी प्रकार के भुगतान;

(ख) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त आय को छोड़कर किसी औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगियां; और

4. पैराग्राफ 2 के प्रयोजनों के लिए पैराग्राफ 5 की शर्तों के अधीन, "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का तात्पर्य कोई तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं (इसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है) करने के प्रतिफल में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का किया गया भुगतान है :

(क) उस अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना, जिसके लिए पैरा 3 के उप-पैरा (क) में वर्णित अदायगी प्राप्त होती है, के प्रयोग अथवा उसके उपभोग करने में अनुषंगी और सहायक हैं; अथवा

(ख) उस संपत्ति के उपभोग के लिए अनुषंगी और सहायक हैं, जिसके लिए पैरा 3 के उप-पैरा (ख) में वर्णित अदायगी प्राप्त हुई है; अथवा

(ग) तकनीकी जानकारी, अनुभव, कौशल अथवा प्रक्रिया ज्ञान या जानकारी उपलब्ध कराना या जिसमें तकनीकी योजना अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास और स्थानांतरण शामिल हो।

5. पैरा 4 में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की परिभाषाओं में अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल नहीं होंगी :

(क) पैरा 3 के उप-पैरा (क) में वर्णित संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति की बिक्री के लिए जो अनुषंगी और सहायक होने के साथ-साथ पूरी तरह और अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हों;

(ख) वे सेवाएं जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के संचालन के संबंध में प्रयुक्त जलयानों, वायुयानों, आधानों अथवा अन्य उपस्करों को किराए पर देने के लिए अनुषंगी और सहायक हों;

(ग) शिक्षण संस्थाओं में उनके द्वारा अध्यापन कार्य;

(घ) अदायगी करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी उपयोग के लिए सेवाओं के संबंध में; अथवा

(ङ) अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी के लिए अथवा अनुच्छेद 15 में यथा-परिभाषित व्यावसायिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति अथवा साझेदार के लिए।

अनुच्छेद-VI

1. अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैरा 1 के उप-पैरा (ख) को हटा लिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ख) भारत की निवासी किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसी कंपनी को, जो कि फिनलैंड की निवासी है और जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम 10 प्रतिशत मताधिकार रखती हो, अदा किए गए लाभांश पर फिनलैंड कर से छूट प्राप्त होगी।”

2. अनुच्छेद के पैरा 2 के उप-पैरा (क) को हटा लिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 10(4), 10(4क), 10(5ख), 10(15) (iv) और 80-1क जहां तक ये लागू हैं अथवा जिनको मामूली रूप से संशोधित किया जाता है ताकि उनके आम स्वरूप में कोई परिवर्तन न आए।”

अनुच्छेद-VII

1. संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को इस आशय के बारे में अधिसूचित करेंगे कि इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सांविधानिक अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख तीस दिन पश्चात् प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा और इसके उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी हो जाएंगे :

(क) फिनलैंड में :

(i) प्रोटोकॉल लागू होने के वर्ष से अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी अथवा उसके पश्चात् प्राप्त की गई आय पर स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में;

(ii) प्रोटोकॉल लागू होने वाले वर्ष से अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्रभावी करों के लिए आय पर अन्य करों और पूंजी पर कर के संबंध में;

(ख) भारत में प्रोटोकॉल लागू होने के वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली किसी वित्तीय वर्ष के करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् अधोहस्ताक्षरी ने, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 1997 के अप्रैल मास के नौवें दिन दो प्रतियों में हिन्दी, फिनलैंड और अंग्रेजी भाषाओं में निम्नांकित किया और सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। इन पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(आई. के. गुजराल)

फिनलैंड गणराज्य की
सरकार की ओर से
(ओल नाबकि)

[फा. सं.10/674/फा.सं. 501/13/80-वि. फ. प्र.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 1998

G.S.R. 495(E).—Whereas the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Finland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital came into force on the notification by the Contracting States to each other of the compliance of the constitutional requirements, as required by Paragraph 1 of Article 29 of the said Convention;

And whereas the Central government, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), and section 44A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), directed, by Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) (Foreign Tax Division) number G.S.R. 786(E) dated the 20th November 1984, that all the provisions of the Convention annexed to the said Notification shall be given effect to in the Union of India;

And whereas the Government of Republic of Finland and the Government of Republic of India desired to amend the said Convention between the Contracting States;

And whereas the annexed Protocol to amend the aforesaid Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Finland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital has come into force on 10th January, 1998, thirty days after date of later of notifications referred to in and as required by Article VII of the said Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol shall be given effect to in the Union of India and the aforesaid Convention shall stand amended to the extent mentioned in the annexed Protocol.

[Notification No. 10671/F. No. 501/13/80-FTD]

A.N. PRAKASH, Jt. Secy.

ANNEXURE

Protocol to amend the convention between the Republic of India and the Republic of Finland for the Avoidance of

Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital.

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Finland,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting Parties for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at Helsinki on 10 June, 1983.

Have agreed as follows :

ARTICLE I

Paragraph 1 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

“1. The taxes which are the subject of the present Convention are:

- (a) in Finland :
 - (i) the state income taxes;
 - (ii) the corporate income-tax;
 - (iii) the communal tax;
 - (iv) the church tax;
 - (v) the tax withheld at source from interest;
 - (vi) the tax withheld at source from non-residents' income; and
 - (vii) the state capital tax;

(hereinafter referred to as “Finnish tax”)

- (b) In India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon; and
 - (ii) the wealth-tax;

(hereinafter referred to as “Indian tax”).”

ARTICLE II

Sub-paragraph (f) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following, and the following new sub-paragraphs (g) and (h) shall be inserted after sub-paragraph (f):

- “(f) the term “competent authority” means:
 - (i) in Finland, the Ministry of Finance, its authorised representative or the authority which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority,
 - (ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue), or their authorised representative;
- (g) the term “fiscal year” means:
 - (i) in Finland, the “tax year” as defined in the taxation laws of Finland relating to income-tax;

- (ii) in India, the “previous year” as defined in Section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(h) the term “tax” means Finnish tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty or interest imposed relating to those taxes.”

ARTICLE III

Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

2. However, as long as an individual resident in Finland is entitled to a tax credit in respect of dividends paid by a company resident in Finland, the following provisions of this paragraph shall apply in Finland instead of the provisions of paragraph 1:

Dividends paid by a company which is a resident of Finland to a resident of India shall be exempt from Finnish tax on dividends.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.”

ARTICLE IV

Paragraph 1, 2, 3 and 4 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following, and the existing paragraphs 5 and 6 shall be renumbered as paragraphs 6 and 7, respectively:

“1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,

- (a) Interest arising in India shall be exempt from Indian tax if the interest is paid to
 - (i) the Bank of Finland; and
 - (ii) the Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (FINNFUND) or any other similar institution, as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States;
- (b) interest arising in Finland shall be exempt from Finnish tax if the interest is paid to
 - (i) the Reserve Bank of India;
 - (ii) National Housing Bank;

- (iii) Small Industries Development Bank of India (SIDBI); and
- (iv) EXIM Bank;
- (c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub-paragraphs (a) or (b) and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds and debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply."

ARTICLE V

Paragraphs 2, 3 and 4 of Article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the following and the existing paragraphs 5, 6 and 7 shall be renumbered as paragraphs 6, 7 and 8, respectively :

"2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed :

- (a) in the case of royalties within sub-paragraph (a) of paragraph 3, and fees for technical services within sub-paragraphs (a) and (c) of paragraph 4;
 - (i) during the years 1997 to 2001 :
 - (aa) 15 per cent of the gross amount of such royalties or fees for technical services when the payer of the royalties or fees for technical services is the Government of the first-mentioned Contracting State or a political sub-division of that State, and
 - (bb) 20 per cent of the gross amount of such royalties or fees for technical services in all other cases; and
 - (ii) during subsequent years 15 per cent of the gross amount of such royalties or fees for

technical services; and

- (b) in the case of royalties within sub-paragraph (b) of paragraph 3 and fees for technical services defined in sub-paragraph (b) of paragraph 4, 10 per cent of the gross amount of such royalties and fees for technical services.

3. For the purposes of this Article, the term "royalties" means

- (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or work on film, tape, or otherwise means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
- (b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment, other than income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. For the purposes of paragraph 2, and subject to paragraph 5, the term "fees for technical services" means payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including the provision of services of technical or other personnel) which :

- (a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in sub-paragraph (a) of paragraph 3 is received; or
- (b) are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which a payment described in sub-paragraph (b) of paragraph 3 is received; or
- (c) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. The definitions of fees for technical services in paragraph 4 shall not include amounts paid :

- (a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property, other than property described in sub-paragraph (a) of paragraph 3;
- (b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships, or aircraft in international traffic;
- (c) for teaching in or by educational institutions;
- (d) for services for the private use of the individual or individuals making the payment; or
- (e) to an employee of the person making the payments or to any individual or partnership for professional services as defined in Article 15".

ARTICLE VI

1. Sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 24 the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“(b) Dividends paid by a company being a resident of India to a company which is a resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends shall be exempt from Finnish tax.”

2. Sub-paragraph (a) of paragraph 2 of the Article shall be deleted and replaced by the following:

“(a) sections 10(4), 10(4A), 10(5B), 10(15)(iv) and 80-1A of the Income-tax Act, 1961 so far as they are in force or as modified only in minor respects so as not to affect their general character; or”

ARTICLE VII

1. The Contracting Parties shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Protocol have been complied with.

2. The Protocol shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

(a) in Finland:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, and tax on capital, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force;

(b) in India, in respect of taxes for any fiscal year beginning on or after the 1 April of the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this ninth day of April 1997, in the Finnish, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic, except that in the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India
(I. K. GUJRAL)

For the Government of
the Republic of Finland
(OLE NORRBACK)

